न्यायालय श्रीमान रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर

पुनरीक्षण 2014–2015 R-2673-II/14

श्री एम. एस. चौहान एडवो० द्वारा आज दि. 22-8-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

होरल पुत्र हल्का जाति चमार निवासी पिपरेसरा
तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

आवेदक

वनाम

1. प्रेमबाई पत्नि तोफान चमार निवासी पिपरेसरा तहसील ईसागढ़
2. होरल पुत्र फोदलिया चमार निवासी धुर्रा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

अनावेदक

एम एस चौहान
21.8.14

पुनरीक्षण

पुनरीक्षण अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

पुनरीक्षण विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय ईसागढ़ उनके प्र.क्रं. 43–6/12–13 आदेश दिनांक 06.06.2014 के विरूद्व

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूमि अवस्थित ग्राम पिपरेसरा के सर्वे क्रं. 629 रकवा 0.533 स्थित है । जो आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की है ।
2. यहकि उपरोक्त भूमि का पट्टा आवेदक के हित में तहसील ईसागढ़ से हुआ था । पट्टा दिनांक से आवेदक उपरोक्त भूमि पर काबिज है । जिस पर आधिपत्य न्यायालय में विचार न कर विधि विपरीत आदेश पारित किया जो निरस्ती योग्य है ।
3. यहकि आवेदक द्वारा ईसागढ़ में सब रजिस्टार कार्यालय में विक्रय पत्र रोकने हेतु आपत्ति दर्ज की थी । इस कारण ईसागढ़ में विक्रय पत्र नही हो सका । लेकिन जिला अशोकनगर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2673–दो/2014 जिला अशोकनगर

होरल विरूद्ध प्रेमबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 04/ए–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक होरल पुत्र हल्का वास्तविक पट्टाधारी व्यक्ति है व ग्राम पिपरेसरा का ही निवासी है। वास्तव में होरल पुत्र फोदलिया दूसरे ग्राम का निवासी है। शासकीय पट्टा ग्राम के निवासी को ही होता है। होरल पुत्र हल्का बनकर भूमि का विक्रय किया, जो अपने आप शून्य है। ऐसे शून्य ~~[illegible]~~ विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। आवेदक ने इस संबंध में तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की जिसे तहसीलदार ने निरस्त करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आदेश पत्रिका का अवलोकन किया। आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण उभय पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य एवं आवेदक मौखिक साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है। स्पष्ट है तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया है बल्कि आपत्ति के निराकरण के लिए साक्ष्य हेतु	

पेशी नियत की है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तहसीलदार के उक्त अंतरिम आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह प्रकरण आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य